कार्यालय उप परियोजना निदेशक

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना प्रभाग – चम्पावत

ईमेल-dpdchampawat@gmail.com, दूरभाष : 05965-230122

पत्रांक 351 / 29–भण्डार / 2020–21 दिनांकः चम्पावत 24, दिसम्बर, 2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अंतर्गत ग्रोथ सेन्टर मद में वर्ष 2020–21 में परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रोथ सेन्टर का निर्माण किया जाना है। इस हेतु दिनांक 04.01.2021 के अपराह्न 3.00 बजे तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर/दस्ती द्वारा आमंत्रित की जाती है जो उसी तिथि को अपरान्ह 3:30 बजे प्रोक्योरमेंट समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता यदि चाहें तो स्वंय अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है।

निविदा प्रपत्र, निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 26.12.2020 से 02.01.2021 तक किसी भी कार्यालय दिवस में अधोहस्ताक्षरी के **"कार्यालय उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, चम्पावत"** के भण्डार कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा प्रपत्र जलागम प्रबन्ध निदेशालय की वैब साईट (www.wmduk.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये जाने की स्थिती में निविदा प्रपत्र की धनराशि पदनाम से **उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, चम्पावत** के नाम बैंक ड्राफ्ट/FDR बनाकर निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप Section-B में अपनी दरें अंकित करें।

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य का क्षेत्रफल	निविदा मात्रा व मूल्य	धरोहर राशि	कार्य अवधि	कार्यस्थल	कार्य की लागत
1.	ग्रोथ सेन्टर निर्माण गोसनी	86 वर्गमीटर	1000 + GST 18%	28760.00	2 माह	जिला चम्पावत के अन्तर्गत एल0सी0 गोसनी	14.38 लाख
2.	ग्रोथ सेन्टर निर्माण तड़ीगांव	86 वर्गमीटर	1000 + GST 18%	25180.00	2 माह	जिला चम्पावत के अन्तर्गत एल0सी0 नौमाना (तड़ीगांव)	12.59 लाख

सीलबन्द निविदा निम्न प्रतिबन्धों व शर्तों के साथ आंमत्रित है :–

1. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
2. ग्रोथ सेन्टर निर्माण हेतु निविदा नोटिस के अनुसार (ड्राईग एवं विवरण) संलग्न है।
3. अधोहस्ताक्षरी को कोई भी निविदा या सभी निविदा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
4. निविदा की वैद्यता निविदा खोले जाने के दिन से 45 दिन तक होगी।
5. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2021 तक वैद्य रहेगी।
6. आपूर्ति आदेशकर्ता द्वारा पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् भी यदि किसी शासकीय कर की कटौति अवशेष रह जाती है तो सफल निविदादाता की जिम्मेदारी होगी कि अवशेष शासकीय कर को नियमानुसार भुगतान कर दें।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE

ईमेल-dpdchampawat@gmail.com, दूरभाष : 05965-230122

7. यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश हो तो अगली तिथि को निविदा खोली जायेगी।
8. सशर्त निविदा मान्य नहीं होंगे।
9. गोसनी व तडीगांव हेतु पृथक पृथक निविदा देनी होगी।
10. निविदा लिफाफे के ऊपर **निविदा ग्रोथ सेन्टर गोसनी** व **निविदा ग्रोथ सेन्टर तड़ीगांव** लिखना अनिवार्य है।
11. सफलतम निविदादाता को जमानत राशि के रूप में **8 प्रतिशत की धनराशि FDR/CDR** के रूप में आपूर्ति आदेशकर्ता के पास बंधक के रूप में रखनी होगी, जो कि कार्यनिर्माण के चार माह उपरान्त कार्य संतोषजनक रहने पर वापस की जायेगी।
12. निर्माण कार्य कार्यादेश प्राप्त होने के 2 माह के भीतर करना होगा।
13. निविदादाता फर्म को जी0एस0टी0 आदि योजना हेतु भारत सरकार एंव राज्य सरकार से जारी निर्देशों के अनुसार पंजीकरण होना आवश्यक है, तथा निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. उक्त निविदा में विवाद होने की दशा में परियोजना निदेशक, कुमाऊँ क्षेत्र–हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि न्यायिक विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र प्रभाग के मुख्यालय में रहेगा।
15. ड्राइंग एवं स्पेसिफिकेशन किसी भी कार्यालय दिवस में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
16. निविदादाता को विगत 3 वर्षों की बैलेंससीट संलग्न करनी होगी जिसमें प्रत्येक वर्ष में कम से कम रू 50.00 लाख का टर्न ओवर हो।

संलग्न– ग्रोथ सेन्टर की ड्राइंग एंव विवरण।

(डॉ अशोक कुमार)
उप परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना,
चम्पावत।

पत्रांक 351 /29–भण्डार तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, कुमायूँ क्षेत्र, हल्द्वानी।
4. प्रभागीय समिति के सदस्य।
5. भण्डार/लेखा सहायक।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(डॉ अशोक कुमार)
उप परियोजना निदेशक,
जलागम प्रबन्धन,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना,
चम्पावत।

WATERSHED MANAGEMENT DIRECTORATE